ऑन लाईन नं.RCMS2019/00141

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 25/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुमेश कुमार पुत्र हेमराज नागपाल —नमूना विक्रेता—
मै0 नागपाल स्वीट् हाऊस , मैन बाजार, करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
निवासी :— मकान नम्बर 120, वार्ड नम्बर15, करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51

निर्णय दिनांक : 22.03.2021

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीशियन,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग **मै0** नागपाल स्वीट् हाऊस , मैन बाजार, करणपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर सुमेश कुमार पुत्र हेमराज नागपाल , उपस्थित मिला जिसने स्वयं को **मै0** नागपाल स्वीट् हाऊस का मालिक बताया। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया तो मौके पर एल्यूमिनियम की एक टब में लगभग 12 किलाग्राम **चमचम (छैना मिठाई)** आम जनता को विक्रय को विक्रय हेतु रखा पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से 2 किलोग्राम **चमचम (छैना मिठाई)** नमूना जांच संख्या **K-931** के नमूनीकरण के लिए खरीदा जिसकी कीमत 360/—रू0 (अखरे रूपये तीन सौ साठ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री सावंरमल के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा के ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर—5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है । फार्म नम्बर 05 पर **चमचम (छैना**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

मिठाई) विक्रेता श्री सुमेश कुमार पुत्र श्री हेमराज नागपाल एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चमचम (छैना मिठाई)** बराबर–बराबर मात्रा में चार सूखी एवं साफ प्लास्टिक की बोतलों में भरकर एवं प्रिजर्वेटिव मिलाकर कसकर ढक्कनों को बंद किया एवं उन पर टेप चिपकाकर लेबल चिपकायें । चारों नमूना भागों पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-931** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **K-931** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1939/एक्ट/2018/1430 दिनांक 14.11.2018 नमूना क्रमांक **K-931 चमचम (छैना मिठाई) SUBSTANDARD** होना पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुमेश कुमार पुत्र श्री हेमराज नागपाल द्वारा अमानक स्तर **चमचम (छैना मिठाई)** 26(2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि उपरोक्त शीर्षक का प्रकरण श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्री हरिराम वर्मा द्वारा अप्रार्थी के संस्थान नागपाल स्वीट हाऊस , मेन बाजार, श्रीकरनपुर से चमचम (छेना मिठाई) का नियमानुसार सैम्पल दिनांक 29.10.2018 को प्राप्त किया था जिसकी जांच श्री हरिराम वर्मा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा राज्य केन्द्रीय पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री, जयपुर से दिनांक 14.11.2018 को करवाई थी जिसके अनुसार मिठाई में रंग की मात्रा एवं स्टार्च पाये जाने के कारण मिठाई का अमाणक कोटि का घोषित किया गया था और इसी कारण श्री हरिराम वर्मा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंधन पाये जाने के कारण धारा 51 में दण्डित होने के फलस्वरूप यह परिवाद प्रस्तुत किया था जो पूर्णतः असत्य तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी के संस्थान में नमूना लिये जाने के समय केवल मात्र 12 किलोग्राम चमचम छेना मिठाई उपलब्ध थी जिसका भाव 180/– रूपये प्रति किलो था और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी से दो किलोग्राम चमचम छेना मिठाई प्राप्त की थी। इस प्रकार अप्रार्थी के पास नमूना लिये जाने के समय केवल मात्र 2160/– रूपये की ही मिठाई उपलब्ध थी। चमचम छेना मिठाई का उपयोग अल्प अवधि के लिये होता है। यह मिठाई ज्यादा दिनों तक रखने योग्य नहीं होती और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2018 को सैम्पल लेने के उपरान्त दिनांक 14.11.2018 को इसकी जांच करवाई। लगभग 16 दिन तक इस मिठाई को अपने पास रखा जबकि इस मिठाई की अवधि अधिकतम 7 दिवस तक ही होती है ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है और इस आधार पर अप्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार जो रंग व स्टार्च इस मिठाई में उपलब्ध पाया गया वह एक नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत डाला था जिससे यह मिठाई खाने योग्य या मनुष्य के लिये हानिकारक हो। उक्त रिपोर्ट में भी फूड एनालिस्ट द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है कि यह मिठाई खाने योग्य नहीं थी और मनुष्य के लिये हानिकारक हो। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि मिठाई में रंग डालना जो हानिकारक ना हो और स्टार्च डालना वर्जित नहीं है। छेने की मिठाई का निर्माण करने के लिये इन तत्वों की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे किसी मनुष्य को हानि हुई हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही को नरमी का रूख अपनाते हुए ड्राप किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **चमचम (छैना मिठाई)** का सैम्पल **K-931** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1939/ एक्ट/2018/1430 दिनांक 14.11.2018 द्वारा **SUB\STANDARD** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया श्री हरिराम वर्मा द्वारा अप्रार्थी के संस्थान नागपाल स्वीट हाऊस , मेन बाजार, श्रीकरनपुर से चमचम (छेना मिठाई) का नियमानुसार सैम्पल दिनांक 29.10.2018 को प्राप्त किया था जिसकी जांच श्री हरिराम वर्मा द्वारा राज्य केन्द्रीय पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री, जयपुर से दिनांक 14.11.2018 को करवाई थी जिसके अनुसार मिठाई में रंग की मात्रा एवं स्टार्च पाये जाने के कारण मिठाई का अमाणक कोटि का घोषित किया गया था और इसी कारण श्री हरिराम वर्मा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंधन पाये जाने के कारण धारा 51 में दण्डित होने के फलस्वरूप यह परिवाद प्रस्तुत किया था जो पूर्णतः असत्य तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी के संस्थान में नमूना लिये जाने के समय केवल मात्र 12 किलोग्राम चमचम छेना मिठाई उपलब्ध थी जिसका भाव 180/– रूपये प्रति किलो था और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी से दो किलोग्राम चमचम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

छेना मिठाई प्राप्त की थी। इस प्रकार अप्रार्थी के पास नमूना लिये जाने के समय केवल मात्र 2160/– रूपये की ही मिठाई उपलब्ध थी। चमचम छेना मिठाई का उपयोग अल्प अवधि के लिये होता है। यह मिठाई ज्यादा दिनों तक रखने योग्य नहीं होती और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2018 को सैम्पल लेने के उपरान्त दिनांक 14.11.2018 को इसकी जांच करवाई। लगभग 16 दिन तक इस मिठाई को अपने पास रखा जबकि इस मिठाई की अवधि अधिकतम 7 दिवस तक ही होती है ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है और इस आधार पर अप्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार जो रंग व स्टार्च इस मिठाई में उपलब्ध पाया गया वह एक नियमित प्रकिया के अन्तर्गत डाला था जिससे यह मिठाई खाने योग्य या मनुष्य के लिये हानिकारक हो। उक्त रिपोर्ट में भी फूड एनालिस्ट द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है कि यह मिठाई खाने योग्य नहीं थी और मनुष्य के लिये हानिकारक हो। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि मिठाई में रंग डालना जो हानिकारक ना हो और स्टार्च डालना वर्जित नहीं है। छेने की मिठाई का निर्माण करने के लिये इन तत्वों की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे किसी मनुष्य को हानि हुई हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही को नरमी का रूख अपनाते हुए ड्राप किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 14.11.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **चमचम (छैना मिठाई)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त श्री गुरूचरण पुत्र श्री ठाकरदास मक्कड नमूना विक्रेता एवं मालिक –पर **SUB\STANDARD** के तहत **RBD गांय का दूध (Cow Milk)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 एवं धारा 31(1) के तहत 25,000/– (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **चमचम (छैना मिठाई)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **चमचम (छैना मिठाई)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।